

26.03.18

पत्रा. पेश हुई। प्रकरण में बार-बार आवाज  
लगवाई गई किन्तु वादी अयालतन या वकालतन  
उपस्थित नहीं आये। अतः वादें वादी अदम हाजरी व  
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं वादें  
वकालत जमा जिला अभिलेखागार हो।

सहायक न्यायाधीश एवं  
कार्यपालक न्यायाधीश  
गंगापुरासरी